

5652  
7/12/21  
7/12/21  
कोट = 6195  
6/12/21

प्रभारी अधिकारी  
प्रतिनिधि  
N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-I/एकीकृत जॉइंटफोर्स-1

FIRST INFORMATION REPORT  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)  
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): वाडमेर P.S. (थाना): सदर वाडमेर Year (वर्ष): 2021

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0425 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/12/2021 22:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)	4
2	आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)	25

FIR  
425/21  
PS सदर वाडमेर  
ACJM I काकोट

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 06/12/2021 Date To (दिनांक तक): 06/12/2021  
 Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 20:10 बजे Time To (समय तक): 20:30 बजे  
 (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/12/2021 Time (समय): 22:02 बजे  
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 061 Date & Time (दिनांक एवं समय): 06/12/2021 22:02:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण - पश्चिम, 3.13 किमी Beat No. (बीट सं.): 2-30M  
 (b) Address(पता): Barmer Gadan, BARMER  
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)  
 Name of P.S (थाना का नाम):

सही प्रसाधित किया जाता है।  
मुख्य प्रतिनिधिकार

क्रमांक 425/21 पहर 2-30M  
उत्पन्न थाना काकोट  
District(State) (जिला (राज्य)): सोमवाट एन.सी.आर.बी  
P.S सदर वाडमेर  
डॉ. साधु काकोट पेश  
अतिरिक्त वरिष्ठ प्रिविल न्यायाधीश  
एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
संख्या



3. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Jitendra Singh

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 08/07/1969

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Khiwandi, Sumerpur, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान, भारत
2	वर्तमान पता	Hal SIP, PS sadar, Barmer, सदर बारमेर, बाड़मेर, राजस्थान, भारत
3	स्थायी पता	Khiwandi, Sumerpur, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9414291262

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Sohan singh		पिता: Mohan singh	1. Dingda basti, barmer gadan, barmer, सदर बारमेर, बाड़मेर, राजस्थान, भारत

3. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

3. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नथी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	शस्त्र और गोला - वारुद	आग्नेयास्त्र के अलावा हथियार	धारदार नंगी तलवार	

सही प्रसाधित किया जाता है।

मुख्य प्रतिलिपिकार

10. Total value of property stolen (In Rs/-)  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य (रु में) ):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-1/एकीकृत जाँच फार्म-1

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)  
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ तथ्यी करे)):

अंतर में

जितेन्द्रसिंह उ.नि.पु.

पुलिस थाना सदर बाइमेर

विशय:- पद्य अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने बाबत  
महोदय,

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 06.12.2021 को श्रीमान के निर्देशानुसार मन उपनिरीक्षक पुलिस मय श्री प्रभुराम कानि 882, कानि बाबुलाल 250 मय सरकारी गाड़ी आर.जे.04 यु.ए.3832 ड्राइवर मुकेश कानि 1844 मय निजी वेपटाप व रिक्टर मय अनुमोधान बॉक्स के बागने लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के प्रयास मशत में थाना में बक्त 07.40 पी.एम. पर खाना होकर गन्त करता हुआ चौहटन चौराहा, कुर्जा फाँटा पहुँचा तो बक्त 08.00 पी.एम. पर अरिबे थान मुखबिर सूचना मिली कि बाइमेर गादान में एक मोहनसिंह नाम का व्यक्ति नंगी धारदार तलवार लेकर धुम रहा है नुकि ईतला पुला व थियमनिय होने पर मनु आई.ओ.मय जाळा माफिक मुखबिर ईतला बाइमेर गादान रोड पर बक्त 08.10 पी.एम. पर पहुँचा जहाँ एक व्यक्ति नंगी तलवार लिये हुए पैदलपैदल रोड पर आता दिखार्ई दिया। जो हम पुबिस पार्टी के नजदीक पहुँचने पर मनु आई.ओ.मय जाळा को बावर्दी में व पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगा जिस पर मनु आई.ओ.मय जाळा द्वारा उमका पीछा कर एवं दम्कवा कर उमका नाम पता पूछा तो उमने धबराते हुए अपना नाम मोहनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जामि रावणा गजपुल उम 31 साल निचामी डीगड़ा बस्ती, बाइमेर गादान पुलिस थाना सदर बाइमेर होना बताया व उमके पास में मिले एक लोहे की धारदार तलवार के बारे में पूछने पर उक्त सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर मोहनसिंह को उक्त धारदार तलवार अपने कब्जा में रखकर धूमने के सम्बन्ध में पिली लार्डेमंग व परमिट के बारे में पूछा तो उमने उक्त धारदार तलवार को अपने कब्जा में रखकर धूमने के बारे में अपने पास कोई पैर लार्डेमंग वा परमिट होना नहीं बताया। जिस पर उक्त मोहनसिंह द्वारा बिना वैध परमिट के लोहे की धारदार तलवार को अपने कब्जा में रखना पाया जाने पर जुर्म धारा 4/25 आम्स एक्ट का अपराध पाया जाने पर उमकी बरामदगी कार्यवाही करना आवश्यक होने एवं अम पास कोई स्वतंत्र मोतवीर उपलब्ध नहीं होने में हमराह जाळा में वे कानि प्रभुराम 882 व कानि बाबुलाल 250 को मोतवीर मापूर कर उक्त मोहनसिंह के कब्जा में मिले धारदार तलवार का माप लिया गया तो उमके पास की लम्बाई 70 सेमी (सेन्टीमीटर) व पीछे पीतलनुमा हाथवा जो कि 10 सेमी मोहनसिंह के कब्जा में उक्त धारदार तलवार को जरीये फर्द मरगनि अभिग्रहण के कब्जा पुलिस में लिया जाकर एवं उमको अपने कब्जा में लेकर धूमना जुर्म धारा 4/25 आम्स एक्ट का अपराध पाया जाने पर हबुरु मोतविरान अभियुक्त मोहनसिंह के कब्जा में उक्त धारदार तलवार को जरीये फर्द मरगनि अभिग्रहण के कब्जा पुलिस में लिया जाकर एवं उमको धारदार तलवार मबुल एक मफेर फाट्टे की पैली में डालकर पील पैपा कर मार्क ए अंकित किया गया एवं अभियुक्त को धारदार तलवार बहा में लामे के सम्बन्ध में पूछने पर कोई गरी बात नहीं बतायी। अभियुक्त मोहनसिंह के विरुद्ध उक्त अपराध अजमानवीय होने में उमको वैधानिक अधिकारों में अवगत करवाते हुए उमको जरीये फर्द गिरफ्तारी के बक्त 09.00 पी.एम. पर गिरफ्तार किया जाकर बरामदगी स्थल की नकशा नजरी मुर्तिव की गयी। बाद मौका कार्यवाही के खाना होकर मय गिर शुदा अभियुक्त मोहनसिंह मय बरामदा धारदार तलवार पीलपैपा मार्क ए व मुर्तिवा फर्दात के उपस्थित थाना आया। रिपोर्ट मय मुर्तिवा फर्दात, गिर शुदा अभियुक्त मोहनसिंह व बरामदा नंगी धारदार तलवार शीलपैपा मार्क ए के कार्यवाही सुकदमा हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है। एमडी जितेन्द्रसिंह उ.नि.पु. पुलिस थाना सदर बाइमेर कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना सदर बाइमेर

दिनांक 06/12/2021 बक्त 10.02 पीएम

इस मयम श्री जितेन्द्रसिंह उ.नि. पुलिस मय जाळा मय गिर. मुदा मुन. मोहनसिंह बरामदा धारदार नंगी तलवार शीलपैपा युक्त मार्क ए व मुर्तिवा फर्दात के पेश की मजमून रिपोर्ट में मामला जुर्म धारा 4/25 आम्स एक्ट का धटित होना पाया जाने में जुर्म उपरोक्त दिनांक इमरोजा के प्रकरण पजीवद कर अनुमोधान हवाने श्री जाफिर अली उ.नि. के किया गया मुन मोहनसिंह को बार जाभा तलाशी मुपुर्द पहना मंतरी बंद हवानात हेतु किया गया जस्त मुदा तलवार जमा मालखाना

सही प्रस्तावित किया जाता है।

मुख्य प्रतिनिधिकार

हेतु एच.एम.मालखाना के किया प्रकरण संख्या प्रथक से सीसीटीएनएस में जनरेट के बाद ईन्द्रजात होंगे। एगडी थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाडमेर सीसीटीएनएस में जनरेट के बाद प्रकरण संख्या-

13: Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. /2021 एगडी थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाडमेर (की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): or (या)

(जाँच अधिकारी का नाम): जाकिर अली Rank उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक  
No(सं.): (पद):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति:नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)  
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)  
बाडमेर

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Anil kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

सही प्रस्तावित किया जाता है।

मुद्रण प्रतिनिधिकार